इस बात को स्वीकार करते हुए कि इंटरनेट जानकारी और ज्ञान का एक सशक्त और लोकतांत्रिक साधन का निर्माण करता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने वेब–पोर्टलों की श्रृंखला तैयार करने के तरीकों पर विचार किया। ये वेब–पोर्टल सूचना के अधिकार, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता के समर्थन में लोकप्रिय आंदोलन में एक निर्णायक साधन बन जाएंगे।

उन्मुक्तता और तीव्र सुगमता में वृद्धि हेतु, एनकेसी ने मूल मानवीय जरूरतों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा में वेब–पोर्टल तैयार करने, संगठित करने और उपयुक्त सामग्री का समावेश करने, उच्चतम समानता बनाने, प्रयोक्ता भिन्न वैयक्तिक तरीके से प्रयुक्त करने की सिफारिश की है।

इस संबंध में आयोग निम्नानुसार सिफारिश करता है:

1. **बुनियादी जरूरतों के लिए राष्ट्रीय पोर्टलों का निर्माण:** जल, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिक अधिकार जैसे कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रीय वेब–आधारित पोर्टल स्थापित किए जाने चाहिए। ये पोर्टल समेकित जानकारी, क्षेत्र में प्रयोगों और संसाधनों के लिए सुलभता के एकल बिंदु के रूप में काम करेंगे और नागरिकों, उद्यमकर्ताओं, लघु उद्योगों, छात्रों, व्यावसायिकों, शोधकर्ताओं, स्थानीय व्यावसायिकों आदि जैसे प्रयोक्ताओं की व्यापक श्रेणी की जरूरतों को पूरा करेंगे।

2. **कंसोर्टियम द्वारा प्रबंध और स्वामित्व:** हालांकि प्रारंभिक स्थापना में सरकार एक प्रमुख भागीदार होगी तो भी इन पोर्टलों का प्रबंध एक ऐसे कंसोर्टियम द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें एनजीओ, अनुसंधान और वैज्ञानिक समूहों, शैक्षणिक संस्थानों, पक्षपोषण समूहों, सरकारी एजेंसियों/विभागों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, अन्य वित्तपोषी एजेंसियों, निजी क्षेत्र, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, शिक्षकों, ई–अधिगम विशेषज्ञों आदि सहित क्षेत्रों के पणधारियों की व्यापक श्रृंखला का समुचित प्रतिनिधित्व हो।

यह निम्न सुनिश्चित करेगा:

- पोर्टल बहुविध स्रोतों से लेकर एकीकृत सामग्री तक जानकारी का एक गतिशील भंडार बना रहे।
- एक सहयोगात्मक माडल अपनाया जाता है जिससे कि नागरिकों, एनजीओ, व्यापारगृहों आदि जैसे सभी हितधारक निर्माण, सहयोग, आदान–प्रदान और चर्चा में एक समृद्ध और सार्थक ढंग से भाग ले सकें जिससे कि जानकारी पर किसी एक समूह का एकाधिकार न बना रहे।
- इस पोर्टल में अधिक मात्रा में सामुदायिक स्वामित्व होगा जिससे कि इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके।
- अनुभव, प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं आदि का विभिन्न पोर्टलों के बीच आदान–प्रदान किया जाएगा।

3. **क्रियाविधियां स्थापित करें:** पोर्टलों की स्थापना के लिए क्रियाविधियों के एक सेट का पालन किया जाना चाहिए:

- विशेष–क्षेत्र पर सहमति।
- चैंपियन/शीर्षस्थ संगठन/संगठनों की पहचान।
- पोर्टल की वास्तुकला पर चैंपियन संगठन/संगठनों के प्रस्ताव की आयोग के विचारार्थ प्रस्तुति।
- हितधारकों और भागीदारों की पहचान तथा पोर्टल प्रबंध के लिए एक तंत्र की स्थापना।
- सामग्री का निर्माण।
- पोर्टल की शुरूआत।
- समृद्ध उपयोगी और संगत सामग्री का निर्माण।

आशा है कि इस चक्र के पूरा होने में 9 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लगेगा जिसके समाप्त होने पर पोर्टल की स्थापना हो जाएगी, जिसका उसके बाद सतत रूप से संवर्द्धन और प्रोन्नयन किया जाएगा।

4. **सरकार द्वारा धारित डाटा को सुलभ बनाएं:** पोर्टल के लिए डाटा से संबंधित अनेक मुद्दे होते हैं जैसे कि स्रोत, वैधता, गुणवत्ता और प्रपत्र। सरकार विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यापक डाटा का एक प्रमुख स्रोत होती है। सभी सरकारी विभागों को उनके पास उपलब्ध डाटा सेट डिजिटल प्रपत्र में पोर्टल कंसोर्टियम को सहज रूप से उपलब्ध करा देने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले डाटा का समग्र रूप से विश्लेषण किए जाने की जरूरत है जिससे कि योजना का निर्माण और अधिक डाटा–आधारित बन सके तथा यथार्थ स्थिति को परिलक्षित कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि जो डाटा परंपरागत रूप से इकट्ठा किया जाता है और जिसका प्रबंध अलग–अलग, एक–दूसरे से असंबद्ध रूप में किया जाता है अब उसे एक साथ देखा जाना चाहिए। संप्रति, ऐसा कोई मंच अथवा तंत्र उपलब्ध नहीं है जिसमें आसानी से ऐसा किए जाने की अनुमति उपलब्ध हो। सुस्पष्ट मार्गनिर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिनके तहत ऐसा डाटा उपयुक्त प्रपत्रों में उपलब्ध कराया जाए और नियमित रू प से अद्यतन बनाया जाए। सूचना का अधिकार इस काम को आसान बनाता है लेकिन यह एक समयसाध्य प्रक्रिया है। इन क्रियाविधियों को युक्तियुक्त तथा सरल बनाए जाने की जरूरत है।

5. सहयोगात्मक वित्तपोषण को बढ़ावा दें: पोर्टल प्रयास की मात्रा में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सामग्री, भागीदारियों और कार्यक्षेत्र का आकार बहुत विशाल है। इस प्रयास के लिए वित्तपोषण के मुद्दे में प्रौद्योगिकी विकास, मानचित्र निर्माण, डाटा संग्रह, अनुप्रयोगों का निर्माण, सामग्री निर्माण, भागीदारियों का आयोजन और समन्वय जैसे बड़ी मदें शामिल हैं। जिस क्षेत्र पर विचार किया जा रहा है उसके आधार पर समाधान तैयार किए जाने की जरूरत है। सरकारी निजी भागीदारियों और नए कारोबारी माडलों सहित विविध संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार अनुदानों के माध्यम से इन प्रयासों के लिए भी कुछ सरकारी निधि उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।

6. मानचित्रण नीति का सुधार करें: कंप्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणालियों (जीआईएस) में उन्नति ने विभिन्न क्षेत्रों में मानचित्रण और मानचित्रों के प्रयोग को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। स्थानिक और विशेष रूप में परस्पर संबद्ध डाटा की भारी मात्राओं का अर्थ निकालने की क्षमता ने कृषि, परिवहन, आपदा प्रबंध आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दृश्य निर्णय लेने में मदद की है। स्थानिक डाटा के प्रयोग के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देशों सहित एक सुस्पष्ट मानचित्रण नीति, जीआईएस डाटा के आदान–प्रदान करने और इस प्रकार जहां आम आदमी का वास्ता पड़ता है वहां प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का अधिकतम प्रयोग करने के लिए जरूरी है। मई, 2005 में घोषित नई मानचित्रण नीति के तहत एनजीओ, सरकार तथा अन्य विकासोन्मुखी एजेंसियों द्वारा इंटरनेट पर जीआईएस मानचित्रों के प्रकाशन को लेकर अभी भी कुछ दुविधाएं हैं। जल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों और निकायों द्वारा समृद्ध जीआईएस आधारित सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि जानकारी का आदान–प्रदान किया जा सके, एक अनौपचारिक चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके तथा और अधिक प्रभावी आयोजना के लिए छूट दी जा सके। मानचित्रण नीति को इस तरह की सुलभता प्रदान करने और स्पष्ट मार्गनिर्देश उपलब्ध कराने की जरूरत है।

7. इंटरनेट प्रवेश और सुलभता का संवर्द्धन करें: इस अवस्था में देश के भीतर न्यून इंटरनेट प्रवेश के चलते जहां 5 प्रतिशत से कम आबादी को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है; पोर्टलों का प्रयोग सीमित रह सकता है। इस चुनौती की ओर ध्यान देने के लिए यह जरूरी है कि पोर्टल दल एनजीओ तथा सरकारी नेटवर्कों के साथ सक्रिय रूप से काम करें, रेडियो, टेलीविजन तथा मुद्रित मीडिया जैसे विशाल वितरण चैनलों का प्रयोग करें जिससे कि जमीनी स्थिति में बदलाव लाने के लिए इस ज्ञान का लाभ उठाना सुनिश्चित किया जा सके। वैकल्पिक गैर–वेब आऊटरीच विधियों का, जो कि इस ज्ञान को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाती हैं (डिजिटल सहित और विहीन) के समर्थन के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता जरूरी है। एक वैकल्पिक आईटी प्रौद्योगिकी उनका समर्थन कर सकती है जिनके पास इंटरनेट सुविधा सुलभ नहीं है, इस दृष्टि से एक ऐसे स्थानीय आवासीय साधन की जरूरत है जो कि डेस्क टाप पीसी पर चलाया जा सके, जो विशिष्ट विषयों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा सके और अनुप्रयोगों को संचालित कर सके। क्योंकि इस तरह के अनुप्रयोग इंटरनेट अथवा किसी दूरस्थ सर्वर पर जानकारी संचित करने पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए नेटवर्क की संयोज्यता के बिना उनका स्थल पर स्थानीय रूप से प्रयोग किया जा सकता है। बाद में स्थानीय डाटा को अपलोड करने अथवा अपडेटों और जानकारी को डाउनलोड करने के लिए इसे सर्वर के साथ जोड़ने की स्थिति में होना लाभकारी होगा। ऐसे साटवेयर संकुल ग्राहक अनुप्रयोग बाटम–अप डाटा के स्रोत हो सकते हैं क्योंकि एनजीओ और व्यक्ति स्थानीय डाटा को किसी केन्द्रीय सर्वर पर इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह सतत आधार पर परिष्कृत स्थानीय डाटा संग्रह करने का एक वैकल्पिक बाटम–अप मार्ग उपलब्ध हो जाता है।

इस प्रकार यह पोर्टल अनुसंधानकर्ताओं और नीतिनिर्माताओं से लेकर जमीनी स्तर के स्थानीय व्यावसायिकों तक के प्रयोक्ताओं की बहुविध कोटियों के लिए, जो कि उनके लिए प्रासंगिक जानकारी के एक मुक्त और पारदर्शी तरीके से व्यापक मात्रा में उपलब्ध होगी से अत्यधिक लाभान्वित होंगे की जरूरतों की ओर ध्यान देगा।

8. भारतीय भाषाओं में अनुवाद करें: पोर्टलों का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए जिससे कि वे व्यापक लाभग्राहियों तक पहुंच सकें। यह जरूरी है कि पारस्परिक विचार–आधारित अनुप्रयोग तथा ई–अधिकारिता सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए जिससे कि यह प्रासंगिक बन सके।